वार्षिक प्रतिवेदन

(वित्तीय वर्ष 2010–2011)

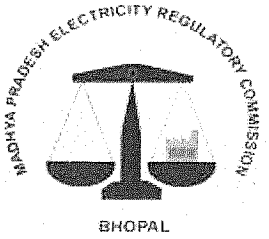

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग

पंचम तल, "मेट्रो प्लाजा" बिट्टन मार्केट, भोपाल–462016
फोन–0755–2430154, 2464643, फैक्स– 2430158
वेबसाईट : www.mperc.nic.in
ई–मेल : secretary@mperc.nic.in

विषय सूची

अध्याय	विवरण	पृष्ठ क्रमांक
1.	कार्यकारी संक्षेपिका	3–5
2.	वर्ष 2010–11 की अवधि में जारी किये गये टैरिफ आदेशों की मुख्य विशेषताएं	6–10
3.	वित्तीय वर्ष 2010–11 की अवधि में निर्गम विनियम/विनियमों में संशोधन तथा परिवर्धन	11
4.	अनुज्ञप्तिधारियों की उपभोक्ता सेवाएं, विनियामक परिपालन तथा अनुपालन मानदण्ड	12–14
	परिशिष्ट–1	15
	परिशिष्ट–2	16–17
	परिशिष्ट–3 (अ, ब, स)	18–20
	परिशिष्ट–4	21

अध्याय – 1

कार्यकारी संक्षेपिका

1.1 मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (मप्रविनिआ) का गठन विद्युत नियामक आयोग अधिनियम, 1998 के अंतर्गत किया गया। तत्पश्चात्, राज्य शासन द्वारा वर्ष 2001 में विद्युत सुधार अधिनियम पारित किया गया। इसके पश्चात् केन्द्र सरकार द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 अधिनियमित किया गया जो कि विद्युत क्षेत्र से संबंधित एक व्यापक विधान है ।

1.2 विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 105 के अनुसार, आयोग से प्रति वर्ष एक बार विगत वर्ष की गतिविधियों के संक्षिप्त विवरण को दर्शाते हुए एक वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करने की अपेक्षा की गई है जिसके अनुसार प्रतिवेदन की प्रतिलिपियां राज्य शासन को प्रेषित की जाती हैं तथा प्राप्त होने पर इन्हें राज्य सरकार यथाशीघ्र राज्य विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत करती है।

1.3 मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा तदानुसार वार्षिक प्रतिवेदन तैयार कर इसे राज्य शासन को प्रेषित किया जाता रहा है। यह प्रतिवेदन वर्ष 2010–11 से संबंधित है।

वित्तीय वर्ष 2010–11 की गतिविधियों का सारांश

1.4 वित्तीय वर्ष 2010–11 के दौरान, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने निम्न टैरिफ आदेश जारी किये हैं :

क्रमांक	टैरिफ आदेशों का विवरण	जारी करने की तिथि
1.	वित्तीय वर्ष 2007–08 हेतु विद्युत वितरण कंपनियों की सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता का सत्यापन संबंधी आदेश	13.04.2010
2.	वित्तीय वर्ष 2010–11 के दौरान ऊर्जा के नवीकरणीय स्त्रोतों हेतु जारी टैरिफ आदेश (1) पवन विद्युत उत्पादकों से विद्युत अधिप्राप्ति (प्रोक्यूरमेंट) हेतु आदेश (2) सौर विद्युत परियोजनाओं से विद्युत अधिप्राप्ति (प्रोक्यूरमेंट) हेतु आदेश	 14.05.2010 06.07.2010
3.	वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु राज्य भार प्रेषण केन्द्र, जबलपुर द्वारा शुल्क तथा प्रभारों का उद्ग्रहण तथा संग्रहण	20.05.2010

4.	वित्तीय वर्ष 2009–10 से वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु अमरकंटक ताप विद्युत उत्पादन स्टेशन विस्तार इकाई–5 (210 मेगावाट) चचाई से अनन्तिम विद्युत उत्पादन टैरिफ आदेश	06.07.2010
5.	वित्तीय वर्ष 2007–08 हेतु विद्युत उत्पादन टैरिफ का सत्यापन संबंधी आदेश	24.01.2011
6.	विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62 तथा मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (कार्य संचालन) विनियम 2004 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2009–10 से वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु सरदार सरोवर परियोजना (6 X 200 + 5 X 50 मेगावाट) में म.प्र. राज्य के 57 प्रतिशत अंशदान के संबंध में विद्युत उत्पादन टैरिफ का अनन्तिम अनुमोदन	07.02.2011
7.	व्हीलिंग एवं क्रॉस सब्सिडी सरचार्ज के अवधारण हेतु आदेश	03.03.2011
8.	आयोग के आदेश दिनांक 06.07.2010 द्वारा वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु अनुमोदित टैरिफ के आधार पर वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु अमरकंटक ताप विद्युत उत्पादन स्टेशन विस्तार इकाई–5 (210 मेगावाट) चचाई की बिलिंग जारी रखने संबंधी आदेश	18.03.2011

1.5 उपरोक्त आदेशों के अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु खुदरा विद्युत प्रदाय–दर (टैरिफ) आदेश दिनांक 18.05.2010 को पारित किया गया ।

1.6 उपभोक्ताओं के हित संवर्धन तथा अनुज्ञप्तिधारियों की कार्यकुशलता में सुधार लाये जाने की दृष्टि से, आयोग नियमित रूप से विद्युत कंपनियों के साथ विचारों का आदान–प्रदान करता रहा है।

1.7 वित्तीय वर्ष 2010–11 के दौरान कुल 109 याचिकाऐं, जिनमें 15 स्व–प्रेरणा याचिकाएं सम्मिलित हैं, पंजीकृत की गईं। पूर्व वर्ष की 49 याचिकाएं भी अवशेष थीं। इस प्रकार, कुल 158 याचिकाओं में से कुल 135 याचिकाओं का निराकरण किया गया जबकि अवशेष 23 याचिकाओं पर प्रक्रिया अगले वित्तीय वर्ष यथा 2011–12 में जारी रहेगी।

1.8 विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 87 के अंतर्गत राज्य सलाहकार समिति का गठन किया गया है। वित्तीय वर्ष 2010–11 के दौरान, राज्य सलाहकार समिति की एक बैठक का दिनांक 4.9.2010 को आयोजन किया गया। टैरिफ के अवधारण, उपभोक्ता हितों के संवर्धन तथा अनुज्ञप्तिधारियों की कार्यकुशलता में सुधार लाये जाने से संबंधित विषयों पर राज्य सलाहकार समिति के सदस्यों द्वारा दिये गये परामर्श पर विचार–विमर्श कर निर्णय लिये गये।

1.9 आयोग की संरचना

राज्य सरकार द्वारा श्री राकेश साहनी की नियुक्ति आयोग के अध्यक्ष पद पर की गई। उनके द्वारा दिनांक 22.09.2010 को पद की शपथ ग्रहण की गई। श्री के.के. गर्ग, दिनांक 21 जनवरी, 2008 से सदस्य (अभियांत्रिकी) के पद पर कार्यरत् हैं तथा श्री सी.एस. शर्मा दिनांक 9 जुलाई, 2008 से सदस्य (इकॉनामिक्स) के पद पर कार्यरत् हैं। आयोग के सदस्यों का विवरण परिशिष्ट–1 पर संलग्न है।

अध्याय – 2

वित्तीय वर्ष 2010–11 के दौरान जारी किये गये टैरिफ आदेशों की प्रमुख विशेषताएं

2.1 वर्ष 2010–11 के लिए विद्युत–दर निर्धारण आदेश 1 जून, 2010 से प्रभावी किया गया ।

2.2 वर्ष 2010–11 के लिए जारी विद्युत–दर निर्धारण आदेश के मुख्य बिन्दु निम्नानुसार हैं :–

1. विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा विद्यमान दरों में लगभग 24 प्रतिशत की वृद्धि प्रस्तावित की गई थीं एवं इसके साथ रू. 3481 करोड़ की नियामक आस्तियां भी प्रस्तावित की गई थीं जिनका भविष्य में दावा किया जाना प्रस्तावित किया गया था। इसके विरूद्ध, आयोग द्वारा विद्युत दरों में 10.66 प्रतिशत की वृद्धि स्वीकृत की गईं व प्रस्तावित नियामक आस्तियां को स्वीकृति प्रदान नहीं की गई।
2. विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा रूपये 15,175 करोड की कुल सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता प्रस्तावित की गई थी, जिसके विरूद्ध आयोग रूपये 10,478 करोड़ की कुल सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता को ही स्वीकृत किया गया। विभिन्न उपभोक्ता श्रेणियों के लिये विद्युत दरों का निर्धारण किया गया ताकि वितरण कम्पनियों को आयोग द्वारा स्वीकृत कुल सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता के अनुरूप राजस्व की प्राप्ति हो सके।
3. आयोग द्वारा पूर्व क्षेत्र एवं पश्चिम क्षेत्र, विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा अधिक स्तर के वितरण हानियों के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया गया। तीनों विद्युत वितरण कम्पनियों को विनियम में दिये गये प्रावधानों के अनुरूप ही वितरण हानियों के स्तर को स्वीकार किया गया :

प्रस्तावित एवं स्वीकृत वितरण हानियों का स्तर

कम्पनी	प्रस्तावित	स्वीकृत
पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी	32.5%	30%
पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी	29.76%	26%
मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी	33%	33%

4. निम्न दाब औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिये संयोजित भार की वर्तमान अधिकतम सीमा को 100 अश्वशक्ति से बढ़ाकर 150 अश्वशक्ति किया गया।

5. 11 के.वी. उच्च दाब उपभोक्ताओं के लिये प्रवेश स्तर की संविदा मांग की न्यूनतम सीमा को 60 केवीए से घटाकर 50 केवीए किया गया।
6. निम्न दाब उपभोक्ताओं को उच्च दाब श्रेणी में अन्तरण की सुविधा प्रदान किये जाने की दृष्टि से 100 केवीए तक की संविदा मांग वाले उच्चदाब उपभोक्ताओं के लिये न्यूनतम खपत की सीमा को कम किया गया।
7. रेलवे कर्षण उच्च दाब श्रेणी हेतु स्थाई प्रभारों को लागू करने का प्रावधान किया गया। अब केवल निम्नदाब कृषि उपभोक्ताओं को छोड़कर, सभी श्रेणियों में स्थाई प्रभारों का प्रावधान है
8. पंजीकृत सहकारी समूह आवासीय समितियों के अतिरिक्त अन्य पंजीकृत समूह आवासीय समितियों को भी एकल बिन्दु पर उच्च दाब संयोजन उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया।
9. भार कारक प्रोत्साहन (लोड फेक्टर इन्सेंटिव) की गणना तथा इसकी दर को युक्तियुक्त किया गया।
10. विद्युत उत्पादकों (कैप्टिव उत्पादकों को सम्मिलित करते हुए) को वितरण प्रणाली से जोड़ने के लिए पृथक विद्युत–दरों का प्रावधान किया गया।

2.3 वित्तीय वर्ष 2007–08 हेतु विद्युत वितरण कम्पनियों की सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता (एआरआर) का सत्यापन संबंधी आदेश :

आयोग द्वारा दिनांक 13 अप्रैल, 2010 को वित्तीय वर्ष 2007–08 हेतु विद्युत वितरण कम्पनियों की सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता का सत्यापन बाबत् एक आदेश पारित किया गया, जिसका अवधारण आयोग द्वारा टैरिफ आदेश दिनांक 30 मार्च, 2007 के अनुसार किया गया। आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2007–08 हेतु रू. 223.10 करोड़ की सत्यापन राशि अनुज्ञेय की गई है।

2.4 वित्तीय वर्ष 2010–11 के दौरान ऊर्जा के नवीकरणीय स्त्रोतों हेतु जारी टैरिफ आदेश :

1. **पवन ऊर्जा से विद्युत उत्पादन :** आयोग द्वारा दिनांक 14.5.2010 को पारित आदेश के अंतर्गत नवीन पवन ऊर्जा परियोजना से विद्युत उत्पादन हेतु, इस आदेश के बाद क्रियाशील होने वाली परियोजनाओं के लिए इनके 25 वर्ष के परियोजना जीवनकाल हेतु संतुलित विद्युत–दर (levelized tariff) रूपये 4.35 पैसे प्रति यूनिट निर्धारित की गई।

2. **सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पादन : (अ)** आयोग द्वारा दिनांक 6.7.2010 को पारित आदेश के अंतर्गत क्रियाशील होने वाली परियोजनाओं के लिये इनके 25 वर्ष के परियोजना जीवनकाल हेतु संतुलित विद्युत–दर (levelized tariff) निम्नानुसार निर्धारित की गई :

सरल क्रमांक	विवरण	दर प्रति यूनिट (रूपयों में)
1.	सौर ताप विद्युत उत्पादन संयंत्रों (Solar Tharmal Generation Plants) से	11.26
2.	सौर फोटोवोल्टीय संयंत्रों (Solar Photovoltaic Power Generations Plants) से	15.35
3.	छत के ऊपर स्थापित फोटोवोल्टीय तथा लघु सौर ऊर्जा उत्पादन कार्यक्रम (Rooftop PV & Small Solar Power Generation Programme-RPSSGP) के अंतर्गत दो मेगावाट सीमा के अंतर्गत परियोजनाओं से	15.49

(ब) गतिवर्धित अवमूल्यन का लाभ प्राप्त करने वाली परियोजनाओं हेतु अवधारित विद्युत–दर को सौर ताप परियोजनाओं हेतु रूपये 97 पैसे प्रति यूनिट तथा सौर फोटोवोल्टीय तथा छत पर स्थापित फोटोवोल्टीय तथा अन्य लघु सौर विद्युत संयंत्रों हेतु रूपये 1.41 पैसे प्रति यूनिट निर्धारित विद्युत दर में से कम कर दिया जाएगा।

2.5 वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु राज्य भार प्रेषण केन्द्र (स्टेट लोड डेस्पेच सेंटर– एसएलडीसी) जबलपुर हेतु शुल्क तथा प्रभारों का उद्ग्रहण तथा संग्रहण :

आयोग द्वारा दिनांक 20 मई, 2010 को वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु राज्य भार प्रेषण केन्द्र (एसएलडीसी), जबलपुर हेतु शुल्क तथा प्रभारों के उद्ग्रहण तथा संग्रहण हेतु एक आदेश पारित किया गया है। आयोग ने वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु रूपये 6.58 करोड़ की शुद्ध वार्षिक राजस्व आवश्यकता की राशि अनुज्ञेय की है।

2.6 वित्तीय वर्ष 2009–10 से वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु अमरकंटक ताप विद्युत स्टेशन विस्तार इकाई–5 (210 मेगावाट) से अनन्तिम विद्युत उत्पादन टैरिफ आदेश :

आयोग द्वारा 6 जुलाई, 2010 को वित्तीय वर्ष 2009–10 से वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु अमरकंटक ताप विद्युत स्टेशन विस्तार इकाई–5 (210 मेगावाट) चचाई हेतु अनन्तिम विद्युत उत्पादन टैरिफ आदेश पारित किया गया। इस आदेश के अंतर्गत, आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2009–10 हेतु, 203 दिवस की अवधि हेतु रूपये 105.08 करोड़ तथा वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु रूपये 185.90 करोड़ के वार्षिक क्षमता प्रभार अनुज्ञेय किये गये हैं। आयोग द्वारा ऊर्जा प्रभारों की 92.24 पैसे प्रति यूनिट की दर भी निर्धारित की गई।

आयोग द्वारा उपरोक्त प्रभारों का निर्धारण अनन्तिम रूप से किया गया तथा एम.पी. पावर जनरेशन कम्पनी को आदेश के अंतर्गत अवधारित कुल क्षमता (इकाई) प्रभारों की 90 प्रतिशत राशि की वसूली भूतलक्षी समायोजन के अध्यधीन अनुमति प्रदान की गई। इस आदेश के अंतर्गत अवधारित ऊर्जा प्रभारों की बिलिंग वास्तविक मूल्य तथा विनियमों में परिभाषित कोयले के सकल उष्मीय मूल्य (Gross Calorific Value) के मासिक समायोजन के अध्यधीन की जाएगी।

2.7 वित्तीय वर्ष 2007–08 हेतु विद्युत उत्पादन टैरिफ का सत्यापन संबंधी आदेश :

आयोग द्वारा दिनांक 24 जनवरी, 2011 को वित्तीय वर्ष 2007–08 हेतु विद्युत उत्पादन टैरिफ के सत्यापन बाबत आदेश पारित किया गया है । इस आदेश के अंतर्गत, आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2007–08 हेतु रूपये 138.27 करोड़ की सत्यापन राशि अनुज्ञेय की गई है। इस सत्यापन राशि के अतिरिक्त, आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2005–06 हेतु रूपये 55.46 करोड़ तथा वित्तीय वर्ष 2006–07 हेतु रूपये 21.14 करोड़ की राशि तत्संबंधी वर्षों हेतु अनुज्ञेय की गई है जो म.प्र. शासन द्वारा अधिसूचित अंतिम प्रारंभिक तुलन पत्र (Final Opening Balance Sheet) के प्रभाव के कारण है।

2.8 वित्तीय वर्ष 2009–10 से वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु सरदार सरोवर परियोजना (6 X 200 + 5 X 50 मेगावाट) में म.प्र. राज्य के 57 प्रतिशत अंशदान के संबंध में विद्युत उत्पादन टैरिफ का अनन्तिम अनुमोदन :

विद्युत अधिनियम की धारा 62 तथा मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (कार्य संचालन) विनियम, 2004 के उपबंधों के अंतर्गत, आयोग द्वारा दिनांक 7 फरवरी, 2011 को नियन्त्रण अवधि वित्तीय वर्ष 2009–10 से वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु सरदार सरोवर परियोजना (6 X 200 + 5 X 50 मेगावाट) में म.प्र. राज्य के 57 प्रतिशत अंशदान के संबंध में विद्युत उत्पादन टैरिफ का अनन्तिम आदेश पारित किया गया है। इस आदेश के अंतर्गत आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2009–10, 2010–11 तथा 2011–12 हेतु क्रमशः 344.55 करोड़ रूपये, 340.30 करोड़ रूपये तथा 336.23 करोड़ रूपये के वार्षिक स्थाई प्रभार अनुज्ञेय किये गये हैं । इस आदेश के अंतर्गत नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण को क्षमता प्रभार तथा ऊर्जा प्रभाव की वसूली, अनन्तिम आधार पर, अवधारित वार्षिक स्थाई लागत के 95 प्रतिशत की दर पर करने की अनुमति प्रदान की गई है, जो अन्तिम विद्युत–दर के अवधारण होने पर भूतलक्षी समायोजन के अध्यधीन होगी।

2.9 व्हीलिंग एवं क्रॉस सब्सिडी सरचार्ज के अवधारण हेतु आदेश :

व्हीलिंग एवं क्रॉस सब्सिडी सरचार्ज के अवधारण हेतु आयोग द्वारा दिनांक 03.03.2011 को पारित आदेश के द्वारा एक मेगावाट से अधिक संविदा मांग वाले उच्चदाब उपभोक्ताओं द्वारा वितरण अनुज्ञप्तिधारियों को छोड़कर, खुली पहुँच द्वारा विद्युत सप्लाई लेने पर देय व्हीलिंग एवं क्रॉस सब्सिडी सरचार्ज का अवधारण विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 42(2) के अंतर्गत किया गया है।

2.10 आयोग के आदेश दिनांक 06.07.2010 द्वारा वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु अनुमोदित टैरिफ के आधार पर वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु अमरकंटक ताप विद्युत उत्पादन स्टेशन विस्तार इकाई–5 (210 मेगावाट) चचाई की बिलिंग जारी रखने संबंधी आदेश :

आयोग ने आदेश दिनांक 18 मार्च, 2011 द्वारा एमपीपीजीसीएल को अमरकंटक ताप विद्युत स्टेशन इकाई–5 (210 मेगावाट) चचाई से वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु आयोग द्वारा पूर्व में प्रकरण क्रमांक IA 25/2010 में जारी प्रावधिक एक–पक्षीय आदेश (Ad-Interim Ex-Party Order) दिनांक 6 जुलाई, 2010 से अनुमोदित वार्षिक प्रभारों के आधार पर याचिकाकर्ता को बिल जारी करने की अनुमति प्रदान की । यह आदेश 31 मार्च, 2012 तक अथवा अमरकंटक ताप विद्युत स्टेशन, विस्तार इकाई–5 (210 मेगावाट) चचाई हेतु अन्तिम विद्युत उत्पादन टैरिफ लागू होने की तिथि तक, दोनों तिथियों में से जो भी पहले घटित हो, तक लागू होगा। अन्य समस्त निबंधन तथा शर्तें आयोग के प्रकरण क्रमांक IA 25/2010 में आदेश दिनांक 6 जुलाई, 2010 के अनुसार लागू होंगी।

अध्याय – 3

वित्तीय वर्ष 2010–11 की अवधि में निर्गम विनियम/विनियमों में संशोधन तथा परिवर्धन

मध्यप्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम, 2000 तथा विद्युत अधिनियम, 2003 में निर्दिष्ट किया गया है कि आयोग, अधिसूचना जारी कर, इन अधिनियमों के उपबंधों के अनुसार अधिनियमों के उपबंधों के परिपालन हेतु सुसंगत विनियम बना सकेगा । तद्नुसार, आयोग द्वारा समय–समय पर विनियम जारी किये गये हैं तथा इस संबंध में उपरोक्त दर्शाये गये अधिनियमों में उपलब्ध लगभग समस्त उपबंधों को सम्मिलित कर लिया गया है । वर्ष 2010–11 के दौरान विनियमों तथा विनियमों के संशोधनों तथा परिवर्धनों की सूची परिशिष्ट – 2 में संलग्न है ।

गई। विद्युत उपभोक्ता सहायता प्रकोष्ठ की स्थापना दिनांक 15 मई, 2008 को आयोग कार्यालय के अंतर्गत आयोग के परामर्शों के पर्यवेक्षण में की गई। वित्तीय वर्ष 2010–11 के दौरान उपभोक्ता सहायता प्रकोष्ठ की शिकायत निवारण की वस्तुस्थिति निम्नानुसार है :

(क) वित्तीय वर्ष 2009–10 से संबंधित लंबित शिकायतों की संख्या	116
(ख) वित्तीय वर्ष 2010–11 के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	950
(ग) वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु कुल शिकायतों की संख्या	1066
(घ) वर्ष के दौरान निराकृत शिकायतों की संख्या	1001
(ड.) दिनांक 31.3.2011 की स्थिति में लंबित शिकायतों की संख्या	65

(2) केन्द्रीय शिकायत निवारण केन्द्रों की स्थापना :– आयोग द्वारा दिये गये निर्देशों के परिपालन में, वितरण अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा इंदौर, भोपाल तथा जबलपुर में केन्द्रीय शिकायत निवारण केन्द्रों (काल सेंटर्स) की स्थापना की गई है। ये शिकायत निवारण केन्द्र चौबीस घंटे कार्यरत् हैं तथा उपभोक्ताओं हेतु निरंतर सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं जिसमें इन शहरों से वैबसाईट के माध्यम से शिकायतों का ऑनलाईन पंजीकरण किया जाना भी सम्मिलित है।

(3) विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम :– राज्य में विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरमों की स्थापना माह अक्टूबर/नवंबर, 2004 में की गई थी। वर्तमान में राज्य में तीन विद्युत वितरण कंपनियां कार्यरत् हैं तथा प्रत्येक वितरण कंपनी ने एक–एक फोरम की स्थापना की है। इन फोरमों के मुख्यालय इंदौर, भोपाल तथा जबलपुर में स्थित हैं। इन फोरमों द्वारा, शिकायतों के निपटान हेतु परिवेदित उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए विद्युत वितरण अनुज्ञप्तिधारी के कार्य क्षेत्र में स्थित विभिन्न अन्य स्थानों पर भी सुनवाईयां आयोजित की जाती हैं। भारत सरकार, विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार इन फोरमों का पुनर्गठन किया गया है। वर्ष 2010–11 की अवधि में फोरमों द्वारा शिकायतों के निवारण संबंधी विवरण परिशिष्ट–3(ब), 3(स) तथा 3(द) में दर्शाये गये हैं।

(4) फोरम स्तर पर दर्ज की गई शिकायतों के निवारण की स्थिति की ऑनलाईन समीक्षा :– वर्ष 2008 से शिकायतकर्ताओं को उनके द्वारा फोरम स्तर पर दर्ज की गई शिकायतों के निराकरण की स्थिति का अवलोकन किये जाने बाबत् ऑनलाईन सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। शिकायत निवारण की वस्तुस्थिति का अवलोकन इंटरनेट के माध्यम से आयोग की वैबसाईट www.mperc.nic.in पर किया जा सकता है।

(5) विद्युत लोकपाल :– राज्य में विद्युत लोकपाल वर्तमान में क्रियाशील हैं। वे शिकायतकर्ता जो फोरम द्वारा पारित निर्णय से संतुष्ट नहीं हैं, विद्युत लोकपाल को अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। वर्ष

2010–11 के दौरान प्राप्त किये गये तथा निराकरण किये गये प्रकरणों के विवरण परिशिष्ट–4 पर दर्शाए गये हैं।

(6) उपभोक्ता संबंधी विषयों पर गैर–शासकीय संगठनों (एनजीओ) को संबद्ध किया जानाः–

आयोग के मतानुसार, उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण में गैर–शासकीय संगठनों के सन्निहित होने / उनके द्वारा सहायता प्रदान कराने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। अतएव, आयोग द्वारा एक सार्वजनिक सूचना के माध्यम से उपभोक्ताओं के संरक्षण हेतु गैर–शासकीय संस्थाओं को इस अभियान में भाग लेने हेतु आमंत्रित किया था। आयोग द्वारा अभी तक लगभग 125 गैर–शासकीय संस्थाओं का पंजीकरण किया जा चुका है। आयोग द्वारा प्रति वर्ष एक सार्वजनिक सूचना के माध्यम से गैर–शासकीय संस्थाओं को वितरण अनुज्ञप्तिधारियों की सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता तथा टैरिफ के अवधारण की सुनवाई के दौरान उपभोक्ताओं की ओर से उनके विचार/सुझाव प्रस्तुत किये जाने बाबत् आमंत्रित किया जाता है।

(7) उपभोक्ता अधिकार–पत्र :– आयोग द्वारा विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा वितरण केन्द्रों, मैदानी कार्यालयों तथा निगमित कार्यालयों में प्रचार–प्रसार हेतु उपभोक्ता अधिकार–पत्र जारी किया गया है। आयोग द्वारा वितरण अनुज्ञप्तिधारियों को इस हेतु उपभोक्ता अधिकार–पत्र की प्रतियां पर्याप्त संख्या में उपलब्ध कराई गईं हैं।

4.4 विनियमन परिपालन :– आयोग द्वारा विनियमन परिपालन पर विनियम जारी किये गये हैं, जिनके अंतर्गत अनुज्ञप्तिधारियों को परिपालन के प्रतिवेदक अधिकारी, जो कि आयोग के साथ नियमित आधार पर विचार–विमर्श करेंगे तथा जो विनियमन परिपालन सबंधी विषयों पर नियमित रूप से प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे, नियुक्त किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। आयोग विभिन्न विनियमों के अंतर्गत प्रदत्त दिशा–निर्देशों से संबंधित परिपालन की अद्यतन स्थिति की नियतकालिक रूप से समीक्षा करता रहा है तथा विनियमन परिपालन में सुधार लाये जाने की दृष्टि से इस हेतु अग्रिम कदम भी उठाता रहा है। वर्ष के दौरान, वित्तीय वर्ष 2009–10 हेतु वार्षिक समीक्षा की गई। आयोग द्वारा आगे और सुधार लाये जाने की दृष्टि से विद्युत वितरण कंपनियों को आयोग की अभ्युक्तियां/ दिशा–निर्देश प्रेषित किये जा चुके हैं।

4.5 आयोग ने वर्ष 2010–11 के दौरान उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए उपभोक्ता मामलों में 8 स्व–प्रेरणा याचिकाऐं पंजीबद्ध की एवं आयोग ने 8 मामलों में अपने निर्देशों के अनुपालन हेतु विद्युत वितरण अनुज्ञप्तिधारकों को विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 142 के अंतर्गत नोटिस भी जारी किये। आयोग ने इनमें से एक प्रकरण में वितरण कंपनी पर रूपये 20,000/– का दण्ड अधिरोपित किया।

परिशिष्ट – 1

आयोग के अध्यक्ष तथा आयोग के सदस्यों के विवरण
(वर्ष 2010–11 की स्थिति में)

सरल क्र.	नाम	पदनाम	कार्य ग्रहण तिथि	कार्यकाल समापन की तिथि
1	श्री राकेश साहनी	अध्यक्ष	22.09.2010	25.01.2015
2.	श्री के.के. गर्ग	सदस्य (अभियांत्रिकी)	21.01.2008	10.12.2011
3	श्री सी.एस. शर्मा	सदस्य (इकोनामिक्स)	09.07.2008	08.07.2013

परिशिष्ट–2

दिनांक 01.04.2010 से दिनांक 31.03.2011 तक अधिसूचित किये गये विनियमों की सूची

स.क्र.	विनियम का नाम	अधिसूचना क्रमांक	जारी करने की दिनांक	अधिसूचना दिनांक	विनियम क्रमांक
01	मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (विद्युत प्रदाय के प्रयोजन से विद्युत लाईन प्रदाय करने अथवा उपयोग किये गये संयंत्र हेतु व्ययों तथा अन्य प्रभारों की वसूली) विनियम (पुनरीक्षण प्रथम), 2009 में द्वितीय संशोधन	941	13.04.2010	23.04.2010	[एआरजी -31 (I) (ii) वर्ष 2009]
02	मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (पारेषण टैरिफ के अवधारण संबंधी निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2009 में (प्रथम संशोधन)	950	16.04.2010	30.04.2010	[एआरजी–28(I) (i), वर्ष 2010]
03	मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (संतुलन तथा व्यवस्थापन) संहिता में प्रथम संशोधन	1380	02.06.2010	11.06.2010	[एजी -34 (i) वर्ष 2010]
04	मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2004 में सत्रहवां संशोधन	1548	14.06.2010	25.06.2010	[एजी –I(xvii) वर्ष 2010]
05.	मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (विद्युत प्रदाय के प्रयोजन से विद्युत लाईन प्रदाय करने अथवा उपयोग किये गये संयत्र हेतु व्ययों तथा अन्य प्रभारों की वसूली) (पुनरीक्षण प्रथम) विनियम, 2009 (तृतीय संशोधन)	2518	16.09.2010	1.10.2010	[एआरजी–31(1) (iii), वर्ष 2010]
06.	मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (राज्य परामर्श दात्री समिति का गठन एवं उसकी कार्य प्रणाली) विनियम, 2004 (प्रथम संशोधन)	2678	05.10.2010	15.10.2010	[एजी–7(i) वर्ष 2010]
07.	मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (परिपालन अंकेक्षण) विनियम, 2010	2910	27.10.2010	5.11.2010	(जी–36, वर्ष 2010)
08.	मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा शुल्क एवं प्रभारों का उद्ग्रहण एवं संग्रहण) विनियम, 2004 प्रथम पुनरीक्षण, 2006 (तृतीय संशोधन)	2955	30.10.2010	19.11.2010	[एआरजी–16, (iii) वर्ष 2010]

09.	मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग [ऊर्जा के नवीकरणीय (अक्षय) स्त्रोतों से विद्युत का सह–उत्पादन तथा उत्पादन] (पुनरीक्षण–प्रथम) विनियम, 2010	3042	09.11.2010	19.11.2010	(आरजी–33(I), वर्ष 2010)
10.	मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (पारेषण टैरिफ के अवधारण संबंधी निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2009 (द्वितीय संशोधन)	3120	15.11.2010	3.12.2010	[एआरजी-28 (I) (ii) वर्ष 2010]
11.	मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उत्पादन टैरिफ के अवधारण संबंधी निबंधन एवं शर्तें) (पुनरीक्षण प्रथम) विनियम, 2009 (प्रथम संशोधन)	3221	25.11.2010	3.12.2010	[एआरजी-26 (I) (i), वर्ष 2010]
12.	मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (विद्युत प्रदाय व चक्रण के टैरिफ अवधारण संबंधी निबंधन तथा शर्तें तथा प्रभारों के निर्धारण के संबंध में विधियां तथा सिद्धान्त) (पुनरीक्षण प्रथम) विनियम, 2009 (प्रथम संशोधन)	3510	23.12.2010	7.1.2011	[एजी -35 (i), वर्ष 2010]
13.	मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (विनियमन परिपालन के प्रतिवेदन की प्रस्तुति बाबत् दिशा–निर्देश) विनियम, 2005 (प्रथम संशोधन)	3554	27.12.2010	7.1.2011	[एजी-23(i), वर्ष 2010]
14.	जल–विद्युत परियोजनाओं की पूंजीगत लागत पर नामोद्दिष्ट स्वतंत्र एजेन्सियों अथवा संस्थाओं या विशेषज्ञों द्वारा सूक्ष्य परीक्षण संबंधी दिशा–निर्देश तथा अन्य संबंधित विषय''	348	01.02.2011	18.2.2011	––
15.	मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (पारेषण टैरिफ के अवधारण संबंधी निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2009 (तृतीय संशोधन)	1014	28.03.2011	29.3.2011	[एआरजी-28 (I) (iii) वर्ष 2011]

परिशिष्ट 3 (अ)

वर्ष 2010–11 हेतु मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी, भोपाल के विद्युत शिकायत निवारण फोरम के संबंध में जिलावार आवेदन तथा निराकरण की जिलावार अद्यतन स्थिति

क्रमांक	जिला	वर्ष के प्रारंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	वर्ष के दौरान निराकृत की गई शिकायतों की संख्या	दिनांक 31.03.2011 को लंबित शिकायतों की संख्या
1	ग्वालियर	8	171	164	15
2	दतिया	0	0	0	0
3	मुरैना	2	13	13	2
4	भिण्ड	0	11	3	8
5	गुना	0	0	0	0
6	अशोकनगर	0	1	1	0
7	शिवपुरी	0	1	1	0
8	श्योपुरकलां	0	0	0	0
9	भोपाल	3	47	47	3
10	विदिशा	2	18	20	0
11	होशंगाबाद	1	8	8	1
12	बैतूल	0	10	6	4
13	राजगढ़	0	18	17	1
14	सीहोर	0	28	28	0
15	रायसेन	2	13	15	0
16	हरदा	0	27	26	1
	कुल योग	18	366	349	35

विद्युत लोकपाल के समक्ष शिकायतों के प्रकरणों की अद्यतन स्थिति प्रगति प्रतिवेदन
(दिनांक 1 अप्रैल, 2010 से 31 मार्च, 2011 तक)

शिकायत की प्रकृति	अवधि के प्रारंभ में लंबित	अवधि के दौरान प्राप्त की गई	अवधि के दौरान निराकृत	एक माह से कम की अवधि से लंबित	एक माह से अधिक परन्तु तीन माह तक लंबित	तीन माह से अधिक परन्तु छः माह तक लंबित	छः माह से अधिक अवधि से लंबित	कुल लंबित (संख्या)
विद्युत प्रदाय में अवरोध संबंधी	0	0	0	0	0	0	0	0
वोल्टेज संबंधी शिकायतें	0	0	0	0	0	0	0	0
भार कम करने/अनुसूचित अवरोध (लोड शेडिंग/ शेड्यूल्ड आऊटेज) संबंधी	0	1	0	0	1	0	0	1
मीटर संबंधी शिकायतें	0	2	1	0	0	1	0	1
विद्युत देयक संबंधी शिकायतें	7	23	26	0	4	0	0	4
विद्युत प्रदाय का असंयोजन तथा पूर्व संयोजन संबंधी	0	0	0	0	0	0	0	0
नवीन संयोजन में विलंब संबंधी	0	1	0	0	0	1	0	1
अन्य शिकायतें, जैसे कि क्षति, मांग/भार में कमी/वृद्धि की जाना अथवा प्रतिभूति निक्षेप पर ब्याज का भुगतान नहीं किया जाना, आदि	7	6	11	0	1	1	0	2
योग	14	33	38	0	6	3	0	9